न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 175/2024 | दायर दिनांक 07.05.2024 | निर्णय दिनांक 27.05.2024

उनवान

1. कैलाश आत्मज श्री बद्री जाति तेली उम्र वयस्क निवासी किशनगढ़ तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. भैरू आत्मज श्री बद्री जाति तेली उम्र वयस्क निवासी किशनगढ तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. सोहन आत्मज श्री बद्री जाति तेली उम्र वयस्क निवासी किशनगढ तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. हरुकू पत्नी श्री बद्री जाति तेली उम्र वयस्क निवासी किशनगढ तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

– प्रार्थीगण

बनाम

1. चन्द्रकान्ता पत्नी श्री पंकज कुमार महाजन निवासी भीलवाड़ा (राज.)
2. मुला आत्मज खाना कुम्हार जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी किशनगढ तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. फोरेस्टर, वन विभाग, नाका जावल तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, कोटडी जिला भीलवाड़ा (राज) –

–विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी विरेन्द्र सिंह शेखावत
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 02 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा किशनगढ प0ह0 किशनगढ भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र नन्दराय तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2076–2079 के खाता संख्या 244 की अभिलिखित आराजियात 857/496 कुल किता 01 कुल रकबा 0.6482 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 02 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा किशनगढ प0ह0 किशनगढ भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र नन्दराय तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2076–2079 के खाता संख्या 244 की अभिलिखित आराजियात 857/496 कुल किता 01 कुल रकबा 0.6482 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे। पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा